

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 - सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून - 248001

फोन न० (0135) - 2712055, 2713551

फैक्स न० (0135) - 2712014, 2713724

संख्या 1468 /XXV-12 (1-5)/2008

देहरादून : दिनांक 07 मार्च, 2017

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी,
मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय,
पंजाब, चंडीगढ़।

विषय:- सूचना के अधिकार के अर्न्तगत चाही गयी सूचनाओं से संबंधित आवेदन पत्रों का हस्तान्तरण।

महोदय,

उपरोक्त विषयक भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या-4/RTI/45/LET/FUNC/RTI/2017 दिनांक 20 फरवरी, 2017 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उनके द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अर्न्तगत सूचना उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है, की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि आवेदक द्वारा चाही गयी वांछित सूचना आपके कार्यालय से संबंधित है, जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 6 (3) के अर्न्तगत अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु हस्तान्तरित किया जा रहा है।

अतः कृपया नियमानुसार वांछित सूचना आवेदक को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,

B. S. Rawat
(बी० एस० रावत)

अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी
*one

पू०संख्या /XXV-12(1-5)/2008, तददिनांक।

प्रतिलिपि:- मोहम्मद उमर, अवर सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोक रोड़, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।

B. S. Rawat
(बी० एस० रावत)

अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी
*one



घात - 23/2/2017
Amachari

भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय
SECRETARIAT OF THE
ELECTION COMMISSION OF INDIA
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001.

No.4/RTI/45/LET/FUNC/RTI/2017 / 7/6

Dated: 20.02.2017

To

The Public Information Officer,
O/o the Chief Electoral Officer,
Punjab, Chandigarh.

Subject: -Right to Information Act, 2005-regarding.

Sir,

Please find a copy of the application(with IPOs) dated 13.02.2017 of Shri Manmohan Singh S/o Karan Singh, H.NO.B-7/509, Krishna Colony, Lahori Gate, Patiala, received in the Commission on 16.02.2017 under RTI Act, 2005.

The application which is in regional language, may kindly be got translated in English and forwarded to the Commission if the subject matter of the application is concerned with the Commission. In case it is not concerned with Election Commission of India, you may take appropriate action under intimation to the applicant and the Commission. It is also requested that the reference of Commission's this letter number and date may be quoted clearly in further communication.

In case of the Election Commission of India, the application fee of Rs.10/- under RTI Act, 2005 may be deposited by way of cash against proper receipt/IPO/Bankers cheque/Demand draft payable in favour of "Under Secretary" or "Accounts officer", Election Commission of India. The IPO must also be made payable at "Post Office, Nirvachan Sadan" New Delhi.

Yours faithfully,

(MOHAMMED UMAR)
UNDER SECRETARY &

CENTRAL PUBLIC INFORMATION OFFICER

Tel. No. 23052066, E-mail: mohammed.umar@eci.gov.in

श्री सेमवाल
द्वारा पत्रिका में
द्वारा कलेक्टर द्वारा सूचना उपलब्ध
कराई।

B
2-3-2017
PID

गलत - भुवनेश्वर
23/2/17

Mobile : 9582119013
Mobile : 8076140629

Amit Sissodia & J.S. Bhandari

Advocates

Chamber No. 213, Lawyers Chamber Building
District Court, Sector-12, Faridabad.

OFF. D-3, Shiv Colony, Palla No. 1
Sehatpur Road, Faridabad, Haryana

दिनांक 17-2-17

सेवा मे,

श्रीमान मुख्य चुनाव अधिकारी,
उत्तराखण्ड राज्य,
देहरादून।

विषय :- सूचना अधिकारी अधिनियम 2005 के तहत सूचना चाहने हेतु।
महोदय,

प्रार्थी अमित शिशोदिया एण्ड जयसिंह भण्डारी एडवोकेटस, 213 लायर्स चैम्बर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सै0-12, फरीदाबाद है और निम्न जानकारी चाहते है।

1 उत्तराखण्ड की किन-किन विधानसभा सीटों को वर्ष 2017 आम चुनाव में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित किया गया है विवरण दीजिए।

2 सभी आरक्षित सीटों पर सभी प्रत्याशियों द्वारा नामांकन पत्र की छायाप्रति के साथ जमा उनके जाति प्रमाण पत्र व शपथ पत्र की सत्यापित प्रति उपलब्ध कराने की कृपा करे।

अतः आपसे अनुरोध है कि प्रार्थी अधिवक्ताओं को सूचना उपलब्ध कराने की कृपा करे।

संलग्न:- 100रु का भा0पो0आर्ड0 -46एच.112697

श्री सेभवाल
कृपा सूचना
उपलब्ध कराने

BW
PID
3-3-17

प्रार्थी

अमित शिशोदिया एण्ड जयसिंह भण्डारी
एडवोकेटस, 213 लायर्स चैम्बर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट,
सै0-12, फरीदाबाद

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

● 4 - सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून - 248001

फोन न० (0135) - 2712055, 2713551

फैक्स न० (0135) - 2712014, 2713724

संख्या 1410 /XXV-12 /2008 (P-3)

देहरादून : दिनांक 07 मार्च, 2017

सेवा में,

श्री अमित शिशोदिया एण्ड जयसिंह भण्डारी,
एडवोकेटस, 213 लायर्स चैम्बर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट,
सै0-12, फरीदाबाद।

विषय:- सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत चाही गयी सूचना के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके सूचना के अधिकार अधिनियम से सम्बन्धित आवेदन पत्र दिनांक 09 फरवरी, 2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आपके द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत वांछित सूचना निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है:-

4. बिन्दु संख्या-01, में चाही गयी सूचना के क्रम में अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड राज्य में अनुसूचित जाति की सीटें निम्न है।

1	01. पुरोला (अ0जा0)	2	29 झबरेड़ा (अ0जा0)
3	05. थराली (अ0जा0)	4	37 पोड़ी (अ0जा0)
5	09. घनसाली (अ0जा0)	6	45 गंगोलीहाट (अ0जा0)
7	20. राजपुर रोड़ (अ0जा0)	8	47 बागेश्वर (अ0जा0)
9	27. ज्वालापुर (अ0जा0)	10	51 सोमेश्वर (अ0जा0)
11	28. भगवानपुर (अ0जा0)	12	58 नैनीताल (अ0जा0)
13	64 बाजपुर (अ0जा0)		

1. बिन्दु संख्या- 02 में चाही गयी सूचना के क्रम में अवगत कराना है कि वांछित सूचना समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय उत्तराखण्ड से संबंधित है जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 6 (3) के अन्तर्गत अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु हस्तान्तरित किया जा रहा है।

यदि आप उपरोक्त उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं से सन्तुष्ट न हों तो विभागीय अपीलीय अधिकारी के सम्मुख निम्न पते पर अपील प्रस्तुत कर सकते हैं:-

विभागीय अपीलीय अधिकारी एवं
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड,
04-सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून।

कृपया प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,

B.S. Rawat
(बी0 एस0 रावत)

अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

stn

पृ0संख्या 1410 /XXV-12(1-5)/2008, तददिनांक।

प्रतिलिपि:- लोक सूचना अधिकारी, समस्त जिला निर्वाचन कार्यालय, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित, कि आवेदक को बिन्दु संख्या 02 पर सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक

B.S. Rawat
(बी0 एस0 रावत) 7-3-17

अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

stn

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 - सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून - 248001

फोन न० (0135) - 2712055, 2713551

फैक्स न० (0135) - 2712014, 2713724

संख्या 1409 /XXV-12 (1-5)/2008

देहरादून : दिनांक 07 मार्च, 2017

सेवा में,

सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी /
लोक सूचना अधिकारी
समस्त जिला निर्वाचन कार्यालय,
उत्तराखण्ड।

विषय:- सूचना के अधिकार के अर्न्तगत चाही गयी सूचनाओं से संबंधित आवेदन पत्रों का हस्तान्तरण।

महोदय,

उपरोक्त विषयक श्री भुपेन्द्र कुमार, एच-255, नेहरू कालोनी, देहरादून के सूचना के अधिकार संबंधी प्रार्थना पत्र संख्या 1103/2016 दिनांक 13 फरवरी, 2017 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उनके द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अर्न्तगत सूचना उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है, की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि आवेदक द्वारा चाही गयी वांछित सूचना आपके कार्यालय से संबंधित है, जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 6 (3) के अर्न्तगत अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु हस्तान्तरित किया जा रहा है।

अतः कृपया नियमानुसार वांछित सूचना आवेदक को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,

B. S. Rawat

(बी० एस० रावत)

अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

dm

प०संख्या 1409 /XXV-12(1-5)/2008, तददिनांक।

प्रतिलिपि:- श्री भुपेन्द्र कुमार, एच-255, नेहरू कालोनी, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

B. S. Rawat
(बी० एस० रावत) 7-3-17

अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

dm

यिल्ल. - 'Amichori'
23/2/17

सत्यमेव जयते

BHUPINDER KUMAR (CAST HUMANITY)
Exposer

AAPDA RAHAT GHOTALA UTTARAKHAND

humanity

is my religion



ध्येय मानव सेवा 'आओ मिलकर भ्रष्टाचार हटाएं, अपना देश बचाएं'

State Vice Chairman UK

पत्रांक संख्या समज 1103/2016

National Action Forum

दिनांक 13/02/2017

for Social Justice

सेवा में

National Vice Chairman

श्रीमान लोक सूचना अधिकारी

Human Rights Forum

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय उत्तराखंड शासन

National Secretary

महोदय

RTI Jan Jagran Mission

उत्तराखंड में आचार संहिता के दौरान की निम्न बिन्दुओं की सूचना

Bureau Chief

विभागीय प्रमाण सहित उपलब्ध करवाये-

Parvatjan

1 यह कि हेलिकॉप्टर तथा अन्य वाहन कार जीप आदि से आचार संहिता के दौरान जितने भी दोरे प्रधानमंत्री केन्द्रीय मंत्रियों मुख्यमंत्रियों तथा राज्य मंत्रियों आदि द्वारा किये गये सूचना ।

Life Member

2 यह कि बिन्दु संख्या 1 के अनुसार जितनों के भी हेलिकोप्टरों तथा वाहनों की तलाशी ली गयी उनके नाम तथा तलाशी लेने वाली टीम के अधिकारियों के नाम पदनाम तथा तथा तलाशी के आदेश जारी करने वाले अधिकारियों के नाम पदनाम तथा आदेशों की सत्यप्रतीलिपिया तलाशी लेने के आधार नियमों की सत्यालिपि ।

Bharat Scouts & Guides

Hjara Bunjai Multani

Biradari Uttarakhand

3 यह कि बिन्दु संख्या 2 के अनुसार जिनके हेलिकोप्टरों तथा वाहनों आदि की तलाशी नहीं ली गयी उनके नाम तथा तलाशी ना लेने के आधार नियमों की सूचना ।

Dependent

Freedom Fighter

सूचना का शुल्क सलग्न पोस्टल आर्डर न. 33F 869649

श्री सेमवाल
3 म० 3411

निवेदक

भ्रष्टाचार उपलब्ध करवाये-

भुपेंदर कुमार

P10 2-3-17

Address for Communication: H-255, Nehru Colony, Dehradun Uttarakhand

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 - सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून - 248001

फोन न० (0135) - 2712055, 2713551

फैक्स न० (0135) - 2712014, 2713724

संख्या 1511 /XXV-12 (1-5)/2008

देहरादून : दिनांक 07 मार्च, 2017

सेवा में,

समस्त लोक सूचना अधिकारी,
जिला निर्वाचन कार्यालय,
उत्तराखण्ड।

विषय:- सूचना के अधिकार के अर्न्तगत चाही गयी सूचनाओं से संबंधित आवेदन पत्रों का हस्तान्तरण।

महोदय,

उपरोक्त विषयक श्री चरण सिंह सैनी पुत्र श्री समय सिंह, निवासी 266/31 गली नं०-4 खन्नानगर, ज्वालापुर, जिला हरिद्वार के सूचना के अधिकार संबंधी प्रार्थना पत्र दिनांक 16 फरवरी, 2017 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उनके द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अर्न्तगत सूचना उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है, की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि आवेदक द्वारा चाही गयी वांछित सूचना आपके कार्यालय से संबंधित है, जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 6 (3) के अर्न्तगत अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु हस्तान्तरित किया जा रहा है।

अतः कृपया नियमानुसार वांछित सूचना आवेदक को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,

B. S. Rawat

(बी० एस० रावत)

अनुभाग अधिकारी एवं

लोक सूचना अधिकारी

Rawat

पृ०संख्या 1511 /XXV-12(1-5)/2008, तददिनांक।

प्रतिलिपि:- श्री चरण सिंह सैनी पुत्र श्री समय सिंह, निवासी 266/31 गली नं०-4 खन्नानगर, ज्वालापुर, जिला हरिद्वार को सूचनार्थ प्रेषित।

B. S. Rawat

(बी० एस० रावत) 7-3-2017

अनुभाग अधिकारी एवं

लोक सूचना अधिकारी

Rawat

प्राप्त - 23/2/2017
Bansari

आवेदन-पत्र

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005(अधिनियम सं0 22/2005) के अन्तर्गत
अनुरोध कर्ता का नाम - चरणसिंह सैनी पुत्र श्री समयसिंह
पता - निवासी - 266/31 गली नं0-4 खन्नानगर ज्वालापुर जिला हरिद्वार-249407
लोक सूचना अधिकारी - श्रीमान लोक सूचनाधिकारी/कार्यालय उत्तराखण्ड राज्य निर्वाचन
अधिकारी देहरादून-248001
महोदय,

आपके कार्यालय से निम्नलिखित सूचनाओ की आवश्यकता है-

1. उत्तराखण्ड राज्य में संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली व लोक सेवा आयोग उत्तराखण्ड की परिधि में आने वाले समस्त विभाग के समस्त अधिकारियों के नाम 15.02.2017 को हुए मतदान के लिए जिस भी विधान सभा की जिस भाग को वोटर लिस्ट में अंकित था, उसकी प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराने की कृपा करे।
2. उत्तराखण्ड राज्य में संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली व लोक सेवा आयोग उत्तराखण्ड की परिधि में आने वाले समस्त विभाग के समस्त अधिकारियों ने 15.02.2017 को हुए मतदान में जिस पोलिंग स्टेशन पर अपने मत का प्रयोग किया है, उसका साक्ष्य उपलब्ध कराने की कृपा करे।

दिनांक-16.02.2017

संलग्नक:-पोस्टल आर्डर मूल्य-10-रु0

नम्बर-28F-174580


चरणसिंह सैनी

श्री सेमवाल
उत्तराखण्ड / उत्तराखण्ड
सम्बन्धितो हेतु
2-3-17
P10

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 - सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून - 248001

फोन न० (0135) - 2712055, 2713551
फैक्स न० (0135) - 2712014, 2713724

संख्या 1412 /XXV-12 (1-5)/2008

देहरादून : दिनांक 07 मार्च, 2017

सेवा में,

- 1 लोक सूचना अधिकारी,
कार्यालय आयुक्त, परिवहन,
उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2 समस्त लोक सूचना अधिकारी,
जिला निर्वाचन कार्यालय,
उत्तराखण्ड।
- 3 लोक सूचना अधिकारी,
मा० मुख्य सचिव कार्यालय,
उत्तराखण्ड।

विषय:- सूचना के अधिकार के अर्न्तगत चाही गयी सूचनाओं से संबंधित आवेदन पत्रों का हस्तान्तरण।

महोदय,

उपरोक्त विषयक श्री अशोक बंसल, 7-इंजीनियर एन्कलेव फेस-1, कांवली रोड़, देहरादून के सूचना के अधिकार संबंधी प्रार्थना पत्र दिनांक 04 मार्च, 2017 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उनके द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अर्न्तगत सूचना उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है, की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि आवेदक द्वारा चाही गयी वांछित सूचना आपके कार्यालय से संबंधित है, जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 6 (3) के अर्न्तगत अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु हस्तान्तरित किया जा रहा है।

अतः कृपया नियमानुसार अपने विभाग/कार्यालय से संबंधित वांछित सूचना आवेदक को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,

B.S. Rawat

(बी० एस० रावत)

अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

Rawat

पु०संख्या 1412 /XXV-12(1-5)/2008, तददिनांक।

प्रतिलिपि:- श्री अशोक बंसल, 7-इंजीनियर एन्कलेव फेस-1, कांवली रोड़, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

B.S. Rawat

(बी० एस० रावत) 7-3-17

अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

Rawat

सेवा में,

दिनांक 4-03-2017

श्रीमान् लोक सूचना अधिकारी,
मुख्य राज्य चुनाव आयोग, उत्तराखण्ड,
सिविल सचिवालय, देहरादून।

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 6 (1) के अन्तर्गत
सूचना मांगपत्र।


महोदय,

उपरोक्त विषयक सम्बन्ध में निम्न बिन्दुओं पर सूचना की आवश्यकता हेतु मांग पत्र प्रेषित है—

- 1— राज्य में चुनाव आचार संहिता के प्रभावी होने की तिथि से दिनांक 11-2-2017 तक वाहनों में पकड़ी गयी शराब एवं नगद धनराशि की वाहन संख्या एवं पंजीकृत वाहन स्वामी व वाहन में घटना स्थल क समय व्यक्तियों के नाम, पता एवं धनराशि तथा शराब की पूर्ण सूचना।
- 2— बिन्दु सं०-1 में उल्लिखित सूचना के अनुसार उक्त वाहनों एवं उनमें पकड़े गये आरोपियों के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही की सूचना।
- 3— परिवहन विभाग के सचिव/आयुक्त कार्यालय में कार्यरत एन०सी०आई० के डाटा बेस एडमिनेस्ट्रेटर कार्मिक द्वारा पी०के० की टीम में प्रयुक्त वाहनों की सूची के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों एवं उन पर कृत कार्यवाही की सूचना के साथ आयुक्त कार्यालय क कार्मिक/अधिकारी के विरुद्ध कृत कार्यवाही की सूचना।
- 4— आयुक्त कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारीगणों के विरुद्ध पी०के० की टीम में लगी वाहनों के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही नहीं किए जाने के आधार एवं प्रमाण की सूचना।
- 5— सचिव, आबकारी, उत्तराखण्ड शासन के विरुद्ध शिकायत एवं कृत कार्यवाही की सूचना।

उक्त सूचना मांगपत्र हेतु सूचना शुल्क रू० 10/- का नगद नोट जिसका नं० 59290107 है, साथ में संलग्न है।

भवदीय,



(अशोक बंसल)

7-इंजीनियर एन्कलेव फेस-1,
कांवली रोड, देहरादून-248001

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 - सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून - 248001

फोन न० (0135) - 2712055, 2713551

फैक्स न० (0135) - 2712014, 2713724

संख्या 1413 /XXV-12 (1-5)/2008

देहरादून : दिनांक 07 मार्च, 2017

सेवा में,

- 1 लोक सूचना अधिकारी,
राज्य निर्वाचन आयोग,
रिंग रोड़, लाडपुर, देहरादून।
- 2 लोक सूचना अधिकारी,
जिला निर्वाचन कार्यालय,
देहरादून।
- 3 लोक सूचना अधिकारी,
पंचस्थानी जिला निर्वाचन कार्यालय,
देहरादून।

विषय:- सूचना के अधिकार के अर्न्तगत चाही गयी सूचनाओं से संबंधित आवेदन पत्रों का हस्तान्तरण।

महोदय,

उपरोक्त विषयक श्री सैन सिंह नेगी, कोहिनूर बुल्डिंग, लन्दौर बाजार, मसूरी, देहरादून के सूचना के अधिकार संबंधी प्रार्थना पत्र दिनांक 21 फरवरी, 2017 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उनके द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अर्न्तगत सूचना उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है, की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि आवेदक द्वारा चाही गयी वांछित सूचना आपके कार्यालय से संबंधित है, जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 6 (3) के अर्न्तगत अग्रत्तर कार्यवाही हेतु हस्तान्तरित किया जा रहा है।

अतः कृपया नियमानुसार वांछित सूचना आवेदक को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,

B. S. Rawat
(बी० एस० रावत)

अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

Raw

प्र०संख्या 1413 /XXV-12(1-5)/2008, तददिनांक।

प्रतिलिपि:- श्री सैन सिंह नेगी, कोहिनूर बुल्डिंग, लन्दौर बाजार, मसूरी, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

B. S. Rawat
(बी० एस० रावत) 7-3-17

अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

Raw

स्पीड पोस्ट

दिनांक - 13/02/2017

21/2/2017

सेवा में,

लोक सुचना अधिकारी,
कमिश्नर मुख्यालय निवाचन अधिकारी,
रिवरी वाइवाक, रिहरी.

विषय - सुचना अधिकार के अंतर्गत सुचना प्राप्त करना ।

महोदय,

चुकीं नगर निगम / नगर पालिका के नगर पंचायत / ब्लाक स्तर पर अस्थिर और स्थिर रूप से निवास करने वाले नागरिकों को जिसमें आम जनता का हित है । और अपने तथा परिवार के हित में संवैधानिक सूचनाओं / प्रमाणपत्रों / सेवा का अधिकार के अंतर्गत प्राप्त होने वाले प्रमाण पत्रों एवं अपने मोहल्ले / बाजार / श्रेत्र की समस्याओं के निवारण की आवश्यकता हो और इस और उक्त निकायों के अध्येअ महोदय वर्तमान में हो रहे विधान सभा के चुनाव में बतौर उमीदवार लड़ रहे हैं । इस तरह से उनके अपने पद पर अनुपस्थित रहने से आम जनता की समस्या का निवारण नहीं हो पा रहा है । और ना ही सेवा का अधिकार 2011 के अंतर्गत कोई कार्य ही हो पा रहा है । मैं मुझे कृपया निम्न सुचना देने की कृपा करेंगे ।

1. जिला देहरादून के अंतर्गत नगर निगम / नगर पालिका / नगर पंचायत / ब्लाक प्रमुख के अध्यक्ष विधान सभा में किसी भी पार्टी या स्वतंत्र उमीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं । मे निगम / नगर पालिका / नगर पंचायत ब्लाक का नाम देते हुए प्रत्याशी के नाम की सुचना से अवगत कराये ।
2. बिंदु संख्या 1 के अनुसार चारों प्रकार के निकायों के अध्यक्ष / प्रमुख को वर्तमान में अध्यक्ष / प्रमुख के पद रहते हुये विधान सभा में चुनाव में प्रत्याशी के रूप में अस्थायी होने हेतु सरकार / जिला अधिकारी / कमिश्नर से अनुमति प्राप्त करना होता है । या उन्हें सूचित करना है । मैं उन अध्यक्षों की सुचना दे जो चुनाव लड़ रहे हैं । आपके पास आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है । समस्त आवेदन पत्र / अनुमति पत्र की छाया प्रति उपलब्ध कराये ।

श्री लखवाल
कृपया उताउथा
सुचना उपलब्ध कराये
Beel
02-3-2017



कुछा: 2

20

3. मसूरी नगर क्षेत्र के अध्यक्ष महोदय के अन्यत्र क्षेत्र से चुनाव लड़ने पर आम जनता को अपने कार्यों को कराने में भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। जिसमें कार्यकर्म का कहना होता है। की अध्यक्ष साहब चुनाव लड़ रहे हैं। कार्य बाद में होंगे, सुचना दे की उक्त प्रकार से चारो निवायो के अध्यक्ष यदि चुनाव लड़ रहे हैं। तो उनके चुनाव की अवधि में उपाध्यक्ष / उप प्रमुख कार्य नहीं करेंगे या उन्हें अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष को कोई अधिकार नहीं रह पता है। और जनता परेशान रहे इसकी दरकार की किसी की किसी को आवश्यकता नहीं रहती है। और यदि अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष को अधिकार रहता है। तो अध्यक्ष की अनुपस्थिति से सम्बन्धित सुचना पत्र उपाध्यक्ष को दिया गया है। या उन्हें विदित है में अध्यक्ष महोदय के उस पत्र की छाया प्रति उपलब्ध कराये जिस पत्र में उन्होंने उक्त प्रकार की चारो निकायों के कार्यकर्मों में सुचना दे रखी है की वे चुनाव लड़ रहे हैं। और इस मध्य उसके परीणाम तक अनुपस्थित रहेंगे जिसमें उपाध्यक्ष कार्य कर सकेंगे।
4. चुनावों के प्रत्याशी के रूप में होने पर सुचना का अधिकार 205, सेवा का अधिकार 2011 तथा 2013 के अंतर्गत आम नागरिक का कोई कार्य न होने और सुचना /प्रमाण पत्र प्राप्त न होने पर उससे होने वाली श्रुतिपूर्ति का दायित्व किन अधिकारियों पर हो सकेगा सुचना दे।
5. उक्त प्रकार के चारो निकायों के अध्यक्ष / उपाध्यक्ष को चुनाव से पूर्व अपनी निकाय को सूचित करना जरूरी नहीं होता है। की वे विधान सभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और यदि जरूरी होता है तो समस्त अध्यक्षों के आवेदन पत्रों की छाया प्रति उपलब्ध कराये जिसमें उन्होंने निकाय को सूचित किया हो या निकाय को उनके द्वार अंधेरे में रखना कानून सम्मत है सुचना दे।
6. उक्त बिंदु अनुसार उन्हें अनुमति लेना या सूचित करना अनिवार्य रहेगा के किस अधिकारी से अनुमति और सूचित करना होगा सुचना दे।
7. आपके अधिनस्थ किस निकाय के अध्यक्ष पार्टी व व्यक्तिगत चुनाव लड़ रहे हैं तथा उन्होंने आपको सूचित किया है की वे वर्तमान में अमुक निकाय के अध्यक्ष होते हुए विधान सभा के चुनाव लड़ रहे हैं कि अनुमति आदि सुचना की सुचना दे।
सूचना की प्राप्ति में रु.10\)-का पोस्टल आर्डर संख्या 37F 802556
मूल रूप में संग्रहण है।

भवदीय-

सैन सिंह नेगी

कोहिनूर बुल्डिंग, लन्दौर बाजार, मसूरी -248179,

जिला - देहरादून (उत्तराखंड)।

21/2/2017

21/2/2017

घात - 23/2/2017

Prunsi
2

स्पीड पोस्ट

दिनांक - 13/02/2017

21-2-2017

सेवा में,

लोक सुचना अधिकारी,
मुख्य सुचना निरीक्षण अधिकारी,
कचहरी कम्पाउन्ड, देहरादून,

विषय - सुचना अधिकार के अंतर्गत सुचना प्राप्त करना।

महोदय,

चुकीं नगर निगम / नगर पालिका के नगर पंचायत / ब्लाक स्तर पर अस्थिर और स्थिर रूप से निवास करने वाले नागरिकों को जिसमें आम जनता का हित है। और अपने तथा परिवार के हित में संवैधानिक सूचनाओं / प्रमाणपत्रों / सेवा का अधिकार के अंतर्गत प्राप्त होने वाले प्रमाण पत्रों एवं अपने मोहल्ले / बाजार / श्रेत्र की समस्याओं के निवारण की आवश्यकता हो और इस और उक्त निकायों के अध्येअ महोदय वर्तमान में हो रहे विधान सभा के चुनाव में बतौर उमीदवार लड़ रहे हैं। इस तरह से उनके अपने पद पर अनुपस्थित रहने से आम जनता की समस्या का निवारण नहीं हो पा रहा है। और ना ही सेवा का अधिकार 2011 के अंतर्गत कोई कार्य ही हो पा रहा है। मैं मुझे कृपया निम्न सुचना देने की कृपा करेंगे।

1. जिला देहरादून के अंतर्गत नगर निगम / नगर पालिका / नगर पंचायत / ब्लाक प्रमुख के अध्यक्ष विधान सभा में किसी भी पार्टी या स्वतंत्र उमीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। मे निगम / नगर पालिका / नगर पंचायत ब्लाक का नाम देते हुए प्रत्याशी के नाम की सुचना से अवगत कराये।
2. बिंदु संख्या 1 के अनुसार चारों प्रकार के निकायों के अध्यक्ष / प्रमुख को वर्तमान में अध्यक्ष / प्रमुख के पद रहते हुये विधान सभा में चुनाव में प्रत्याशी के रूप में अस्थायी होने हेतु सरकार / जिला अधिकारी / कमिश्नर से अनुमति प्राप्त करना होता है। या उन्हें सूचित करना है। मैं उन अध्यक्षों की सुचना दे जो चुनाव लड़ रहे हैं। आपके पास आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। समस्त आवेदन पत्र / अनुमति पत्र की छाया प्रति उपलब्ध कराये।

श्री सोमवाल

पंजिका के सच

कार्य के उपलब्ध सुचना
उपलब्ध कराये

कृपया: 2

2-3-2017

2

3. मसूरी नगर श्रेत्र के अध्यक्ष महोदय के अन्यय श्रेत्र से चुनाव लड़ने पर आम जनता को अपने कार्यों को कराने में भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है | जिसमे कार्यकर्म का कहना होता है | की अध्यक्ष साहब चुनाव लड़ रहे हैं | कार्य बाद में होंगे, सुचना दे की उक्त प्रकार से चारो निवायो के अध्यक्ष यदि चुनाव लड़ रहे हैं | तो उनके चुनाव की अवधि में उपाध्यक्ष / उप प्रमुख कार्य नहीं करेंगे या उन्हें अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष को कोई अधिकार नहीं रह पता है | और जनता परेशान रहे इसकी दरकार की किसी की किसी को आवश्यकता नहीं रहती है | और यदि अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष को अधिकार रहता है | तो अध्यक्ष की अनुपस्थिति से सम्बन्धित सुचना पत्र उपाध्यक्ष को दिया गया है | या उन्हें विदित है मैं अध्यक्ष महोदय के उस पत्र की छाया प्रति उपलब्ध कराये जिस पत्र में उन्होंने उक्त प्रकार की चारो निकायों के कार्यकर्मों में सुचना दे रखी है की वे चुनाव लड़ रहे हैं | और इस मध्य उसके परीणाम तक अनुपस्थित रहेंगे जिसमे उपाध्यक्ष कार्य कर सकेंगे |
4. चुनावों के प्रत्याशी के रूप में होने पर सुचना का अधिकार 205, सेवा का अधिकार 2011 तथा 2013 के अंतर्गत आम नागरिक का कोई कार्य न होने और सुचना /प्रमाण पत्र प्राप्त न होने पर उससे होने वाली श्रतिपूर्ति का दायित्व किन अधिकारियों पर हो सकेगा सुचना दे |
5. उक्त प्रकार के चारो निकायों के अध्यक्ष / उपाध्यक्ष को चुनाव से पूर्व अपनी निकाय को सूचित करना जरूरी नहीं होता है | की वे विधान सभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और यदि जरूरी होता है तो समस्त अध्यक्षों के आवेदन पत्रों की छाया प्रति उपलब्ध कराये जिसमे उन्होंने निकाय को सूचित किया हो या निकाय को उनके द्वार अंधेरे में रखना कानून सम्मत है सुचना दे |
6. उक्त बिंदु अनुसार उन्हें अनुमति लेना या सूचित करना अनिवार्य रहेगा के किस अधिकारी से अनुमति और सूचित करना होगा सुचना दे |
7. आपके अधिनस्थ किस निकाय के अध्यक्ष पार्टी व व्यक्तिगत चुनाव लड़ रहे हैं तथा उन्होंने आपको सूचित किया है की वे वर्तमान में अमुक निकाय के अध्यक्ष होते हुए विधान सभा के चुनाव लड़ रहे हैं कि अनुमति आदि सुचना की सुचना दे |
सूचना की प्राप्ति में रु.10/-का पोस्टल आर्डर संख्या 37 F 8025 55 /किफ 21/2/17
मूल रूप में संगलन है |

भवदीय-

सैन सिंह नेगी,

कोहिनूर बुल्डिंग, लन्दौर बाजार, मसूरी -248179,

जिला - देहरादून (उत्तराखंड) |

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 - सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून - 248001

फोन न० (0135) - 2712055, 2713551

फैक्स न० (0135) - 2712014, 2713724

संख्या 1414 /XXV-12 (1-5)/2008

देहरादून : दिनांक ०७ मार्च, 2017

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी,
जिला निर्वाचन कार्यालय,
देहरादून।

विषय:- सूचना के अधिकार के अर्न्तगत चाही गयी सूचनाओं से संबंधित आवेदन पत्रों का हस्तान्तरण।

महोदय,

उपरोक्त विषयक श्री यज्ञ भूषण शर्मा, निर्दलीय प्रत्याशी, एवं सचिव, आर.टी.आई. क्लब, उत्तराखण्ड(रजि.) 196-ए, डी.एल. रोड़, देहरादून के सूचना के अधिकार संबंधी प्रार्थना पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उनके द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अर्न्तगत सूचना उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है, की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि आवेदक द्वारा चाही गयी वांछित सूचना आपके कार्यालय से संबंधित है, जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 6 (3) के अर्न्तगत अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु हस्तान्तरित किया जा रहा है।

अतः कृपया नियमानुसार वांछित सूचना आवेदक को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,

B. S. Rawat
(बी० एस० रावत)

अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

tu

पृ०संख्या 1414 /XXV-12(1-5)/2008, तददिनांक।

प्रतिलिपि:- श्री यज्ञ भूषण शर्मा, निर्दलीय प्रत्याशी, एवं सचिव, आर.टी.आई. क्लब, उत्तराखण्ड(रजि.) 196-ए, डी.एल. रोड़, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

B. S. Rawat
(बी० एस० रावत) 7-3-17

अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

tu

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा-6 के अन्तर्गत आवेदन

सम्बन्ध -

लोक सूचना अधिकारी / मुख्य निर्वाचन अधिकारी, कर्मालय, उत्तरखण्ड
राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तरखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून
~~निर्वाचन आयोग, देहरादून~~


मांगी गयी सूचना का विवरण -


(1) उत्तरखण्ड राज्य विधान सभा चुनाव - 15 फरवरी 2017 हेतु राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान दिवस पूर्व 48 घंटे की समय सीमा में, सभी प्रत्याशियों के होटिंग्स, बैनर, दीवारों पर लगे पोस्टर आदि को हटाने के लिये प्रत्याशियों को / अपने अधीनस्थ अधिकारियों / कर्मचारियों / नोटलरजिस्ट्रारों / नगर निगम आदि को जो आदेश / निर्देश दिये गये हैं उन सभी आदेशों / निर्देशों की सत्यप्रतिपा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
इस सूचना में उन सभी व्यक्तियों / पदाधिकारियों के नाम भी बताये जायें जिन्हें ऐसे आदेश / निर्देश दिये गये हैं।

(2) 19- रायपुर विधान सभा क्षेत्र में मतदान दिवस (15/2/2017) को चुनाव आयोग की वीडियो ग्राफी करने वाले सचल दल द्वारा मतदान केन्द्रों की जो भी वीडियो ग्राफी / रिकार्डिंग की गयी है उस वीडियो रिकार्डिंग की C.I.D. (कॉम्पैक्ट डिस्क) में सत्यप्रति उपलब्ध करायें।

(3) आदेश आचार संहिता के उल्लंघन में 19- रायपुर विधान सभा के चुनाव में जिन जिन प्रत्याशियों को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सूचना के इस आवेदन के दिनांक तक जो भी नोटिस प्रेषित किये गये हैं उन सभी नोटिसों की सत्यप्रतिपा उपलब्ध करायें।

संलग्न - 10/- का पोस्टल ऑर्डर नं. 33F 864245
विशेष - इस पोस्टल ऑर्डर का शीर्ष खली होना चाहिए।
लोक सूचना अधिकारी से अपेक्षित है कि अपने आयोग में प्रचलित लेखा शीर्ष स्वयं भर

भवदीय

अनुराग शर्मा (निर्देशीय प्रत्याशी) एवं
सचिव, आर.टी. आई. कालन उत्तरखण्ड (प.नि.)
196-A डी.एल. रोड, देहरादून - 248001.
मोबा - 9358130124

श्री. सेमवाल का भुगतान प्राप्त करें।
उत्तरा 3311
सूचना उपलब्ध कराये

21/3/17
PID

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
04 - सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून - 248001

फोन न० (0135) - 2712055, 2713551
फैक्स न० (0135) - 2712014, 2713724

संख्या 1415 /XXV-12 /2008 (P-4)

देहरादून : दिनांक 07 मार्च, 2017

सेवा में,

Mr. B. S. Sandhu,
RTI Activist,
H.No. 6, Gulmohar Complex, Dhakoli,
Zirakpur-140603, Distt, S.A.S. Nagar, Punjab.

विषय:- सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत चाही गयी सूचना के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने सूचना अधिकार अधिनियम से सम्बन्धित आवेदन पत्र दिनांक 20 फरवरी, 2017 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचनायें उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त आवेदन पत्र के माध्यम से वांछित बिन्दु संख्या 01 से बिन्दु संख्या 06 तक मे चाही गयी सूचना संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

यदि आप उपरोक्त उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं से सन्तुष्ट न हों तो विभागीय अपीलीय अधिकारी के सम्मुख निम्न पते पर अपील प्रस्तुत कर सकते हैं:-

विभागीय अपीलीय अधिकारी एवं
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड, 04-सुभाष रोड़,
सचिवालय परिसर, देहरादून।

कृपया प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,

B. S. Rawat
(बी० एस० रावत) 7-3-17

अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

Rawat

उत्तराखण्ड सरकार
निर्वाचन विभाग

संख्या- 683 /XXV - 119 / 2013

दिनांक: देहरादून 7 नवम्बर, 2013

निविदा सूचना-शुद्धिपत्र

विभिन्न स्रोतों से प्राप्त Feedback (प्रतिपुष्टि) के आधार पर, निविदा में अधिक से अधिक प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित किये जाने हेतु इस कार्यालय की निविदा सूचना संख्या-641 XXV - 119 / 2013 दिनांक 12 नवम्बर, 2013 की शर्तों में (क्रम संख्या- 4 एवं 9 तथा Annexure-1) में निम्न प्रकार आंशिक संशोधन किया जाता है:-

1-पूर्व प्रस्तर संख्या-4 के स्थान पर स्थापित:- मतदाता फोटो पहचान पत्रों की तैयारी एवं आपूर्ति सम्बन्धी विगत 10 वर्षों के अन्तर्गत किन्ही भी तीन वर्षों में, प्रत्येक वर्ष में कम से कम 5.00 लाख (पाँच लाख) का टर्न ओवर होना चाहिए। इसी प्रकार फर्म का वित्तीय वर्ष-2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 में, प्रत्येक वर्ष में कम से कम कुल ₹50.00 लाख (पच्चास लाख) का टर्न ओवर होना चाहिए। टर्नओवर से संबंधित सी0ए0 के द्वारा सम्प्रीक्षित बैलेंस शीट की प्रमाणित छाया प्रति भी उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

2- पूर्व प्रस्तर संख्या-9 के स्थान पर स्थापित:- निर्वाचन कार्यों की तात्कालिकता, महत्ता और समयबद्धता को ध्यान में रखते हुए सफल निविदा-दाता को कार्यादेश प्राप्ति के एक सप्ताह भीतर उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत कार्यालय एवं कार्यशाला स्थापित करना अनिवार्य होगा। इसी कार्यालय एवं कार्यशाला से फर्म के द्वारा उपरोक्त कार्य का समुचित पर्यवेक्षण/अनुश्रवण करना होगा।

निविदा के सम्बन्ध में शेष नियम और शर्तें यथावत रहेंगी। कृपया इस कार्यालय की उपरोक्त निविदा सूचना दिनांक 12 नवम्बर, 2013 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। निविदा के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाईट <http://ceo.uk.gov.in> से भी प्राप्त की जा सकती है।

(सौजन्या)

अपर सचिव एवं

संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

प्रतिलिपि:- 683

1- राष्ट्रीय सूचना विज्ञान अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC) सचिवालय परिसर देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त निविदा-सूचना के शुद्धि पत्र को तत्काल विभागीय वेबसाईट <http://ceo.uk.gov.in> में अपलोड करवाने का कष्ट करें।

(सौजन्या)

अपर सचिव एवं

संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

उत्तराखण्ड सरकार
निर्वाचन विभाग

संख्या- 683 / XXV - 119 / 2013

दिनांक: देहरादून 27 नवम्बर, 2013

निविदा सूचना-शुद्धिपत्र

विभिन्न स्रोतों से प्राप्त Feedback (प्रतिपुष्टि) के आधार पर, निविदा में अधिक से अधिक प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित किये जाने हेतु इस कार्यालय की निविदा सूचना संख्या-641 XXV - 119 / 2013 दिनांक 12 नवम्बर, 2013 की शर्तों में (क्रम संख्या- 4 एवं 9 तथा Annexure-1) में निम्न प्रकार आंशिक संशोधन किये जाते हैं:-

1-पूर्व प्रस्तर संख्या-4 के स्थान पर स्थापित:- मतदाता फोटो पहचान पत्रों की तैयारी एवं आपूर्ति सम्बन्धी विगत 10 वर्षों के अन्तर्गत किन्ही भी तीन वर्षों में, प्रत्येक वर्ष में कम से कम 5.00 लाख (पाँच लाख) का टर्न ओवर होना चाहिए। इसी प्रकार फर्म का वित्तीय वर्ष-2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 में, प्रत्येक वर्ष में कम से कम कुल ₹50.00 लाख (पच्चास लाख) का टर्न ओवर होना चाहिए। टर्नओवर से संबंधित सी0ए0 के द्वारा समीक्षित बैलेंस शीट की प्रमाणित छाया प्रति भी उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

2- पूर्व प्रस्तर संख्या-9 के स्थान पर स्थापित:- निर्वाचन कार्यों की तात्कालिकता, महत्ता और समयबद्धता को ध्यान में रखते हुए सफल निविदा-दाता को कार्यदेश प्राप्ति के एक सप्ताह भीतर उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत कार्यालय एवं कार्यशाला स्थापित करना अनिवार्य होगा। इसी कार्यालय एवं कार्यशाला से फर्म के द्वारा उपरोक्त कार्य का समुचित पर्यवेक्षण/अनुश्रवण करना होगा।

निविदा के सम्बन्ध में शेष नियम और शर्तें यथावत रहेंगी। कृपया इस कार्यालय की उपरोक्त निविदा सूचना दिनांक 12 नवम्बर, 2013 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। निविदा के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाईट <http://ceo.uk.gov.in> से भी प्राप्त की जा सकती है।

(सौजन्या)

अपर सचिव एवं

संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

प्रतिलिपि:-

1- राष्ट्रीय सूचना विज्ञान अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC) सचिवालय परिसर देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त निविदा-सूचना के शुद्धि पत्र को तत्काल विभागीय वेबसाईट <http://ceo.uk.gov.in> में अपलोड करवाने का कष्ट करें।

(सौजन्या)

अपर सचिव एवं

संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

Annexure-1

Pre-printed Non Personalized PVC Cards की आपूर्ति और Printing of elector details on PVC cards आदि कार्य हेतु तकनीकी निविदा की अर्हता का सारांश प्रपत्र

- 1- फर्म का नाम:-
- 2- फर्म का पता (टेलीफोन नम्बर/ई मेल पता सहित):-
- 3- फर्म का स्वरूप (एकल स्वयं/साझेदारी, यदि साझेदारी हो तो साझेदारी के पत्रजात):-
- 4- व्यापार कर पंजीकरण संख्या:-
- 5- आयकर पंजीकरण पैन् नम्बर:-
- 5क- सेवाकर पंजीकरण संख्या:-
- 6- मतदाता फोटो पहचान पत्रों की तैयारी एवं आपूर्ति से संबंधित विगत दस वर्षों के अन्तर्गत किन्हीं भी तीन वर्षों में कार्य करने का अनुभव और उक्त कार्य के टर्न ओवर का विवरण:-

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	राज्य/जनपद का नाम जहां सफलतापूर्वक कार्य सम्पन्न किया है।	कुल टर्न ओवर (धनराशि)

- 7- विगत तीन वर्षों में फर्म का कुल टर्नओवर

क्र. सं.	विवरण	वित्तीय वर्ष-2010-11	वित्तीय वर्ष-2011-12	वित्तीय वर्ष-2012-13
1.	फर्म का कुल टर्न ओवर			

- 8- ब्लेक लिस्टेड/फर्म के विरुद्ध कोई शासकीय कार्यवाही होने की घोषणा:-
 - 9- किसी भी शासकीय देयता की बकाया न होने तथा वर्ष-2011-12 तक जमा आयकर रिटर्न का विवरण:-
 - 10- धरोहर की जमा राशि का विवरण:-
 - 11- अन्य:-
- संलग्नकों की संख्या:-

निविदा-दाता की घोषणा

प्रमाणित किया जाता है कि, Pre-printed Non Personalized PVC Cards की आपूर्ति तथा Printing of elector details on PVC cards. फोटो स्कैन, निर्धारित साफ्टवेयर के माध्यम से डाटाबेस में फोटो Attach कर Merge आदि से संबंधित निर्वाचन विभाग द्वारा निविदा के लिए निर्धारित प्रस्तर-1 से 37 तक में उल्लिखित नियम/शर्तों को भली-भाँति से पढ़ व समझ लिया गया है और तत्पश्चात ही निविदा प्रक्रिया में प्रतिभाग किया जा रहा है। निविदा के लिए विभाग द्वारा नियत उपरोक्त नियम एवं शर्तें स्वीकार करते हुए यह भी प्रमाणित किया जाता है कि निविदा की नियम/शर्तों का किसी भी प्रकार से अनुपालन न करने या उल्लंघन करने के लिए फर्म/कम्पनी आदि उत्तरदायी होगी।

हस्ताक्षर.....

पूरा नाम.....

पूरा पता.....

पैन/टैन नं०.....

फोन/फैक्स नं०..... मोबा० नं०.....

फर्म की मुहर यहां पर लगाई जाय।

उत्तराखण्ड सरकार
निर्वाचन विभाग

संख्या- 684 /XXV - 119 /2013
दिनांक: देहरादून 27 नवम्बर, 2013

निविदा सूचना-शुद्धि पत्र

विभिन्न स्रोतों से प्राप्त Feedback (प्रतिपुष्टि) के आधार पर, निविदा में अधिक से अधिक प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित किये जाने हेतु इस कार्यालय की निविदा सूचना संख्या-641 XXV - 119 /2013 दिनांक 12 नवम्बर, 2013 की शर्तों में (क्रम संख्या- 4 एवं 9 तथा Annexure-1) में आंशिक संशोधन किया जाता है। संशोधन से संबंधित सामग्री को विभागीय वेबसाईट <http://ceo.uk.gov.in> से डाउनलोड करने के साथ-साथ दिनांक 02.12.2013 तक किसी भी कार्यदिवस और कार्यालय समय पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

(सौजन्या)

अपर सचिव एवं
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

प्रतिलिपि:- 684

1- महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि उक्त निविदा सूचना के शुद्धि पत्र को सर्वाधिक प्रचलन के राष्ट्रीय स्तर के दो समाचार पत्रों में दिनांक 28 नवम्बर, 2013 के प्रकाशन में, न्यूनतम धनराशि के अन्तर्गत प्रकाशित करवाने का कष्ट करें।

(सौजन्या)

अपर सचिव एवं
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

उत्तराखण्ड सरकार
निर्वाचन विभाग

संख्या- 684 / XXV - 119 / 2013
दिनांक: देहरादून 27 नवम्बर, 2013

निविदा सूचना-शुद्धि पत्र

विभिन्न स्रोतों से प्राप्त Feedback (प्रतिपुष्टि) के आधार पर, निविदा में अधिक से अधिक प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित किये जाने हेतु इस कार्यालय की निविदा सूचना संख्या-641 XXV - 119 / 2013 दिनांक 12 नवम्बर, 2013 की शर्तों में (क्रम संख्या- 4 एवं 9 तथा Annexure-1) में आंशिक संशोधन किया जाता है। संशोधन से संबंधित सामग्री को विभागीय वेबसाईट <http://ceo.uk.gov.in> से डाउनलोड करने के साथ-साथ दिनांक 02.12.2013 तक किसी भी कार्यदिवस और कार्यालय समय पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

(सौजन्या)

अपर सचिव एवं
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

प्रतिलिपि:-

1- महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि उक्त निविदा सूचना के शुद्धि पत्र को सर्वाधिक प्रचलन के राष्ट्रीय स्तर के दो समाचार पत्रों में दिनांक 28 नवम्बर, 2013 के प्रकाशन में, न्यूनतम धनराशि के अन्तर्गत प्रकाशित करवाने का कष्ट करें।

(सौजन्या)

अपर सचिव एवं
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

Annexure-1

Pre-printed Non Personalized PVC Cards की आपूर्ति और Printing of elector details on PVC cards आदि कार्य हेतु तकनीकी निविदा की अर्हता का सारांश प्रपत्र

- 1- फर्म का नाम:-
- 2- फर्म का पता (टेलीफोन नम्बर/ई मेल पता सहित):-
- 3- फर्म का स्वरूप (एकल स्वयं/साझेदारी, यदि साझेदारी हो तो साझेदारी के पत्रजात):-
- 4- व्यापार कर पंजीकरण संख्या:-
- 5- आयकर पंजीकरण पैन नम्बर:-
- 5क- सेवाकर पंजीकरण संख्या:-
- 6- मतदाता फोटो पहचान पत्रों की तैयारी एवं आपूर्ति से संबंधित विगत दस वर्षों के अन्तर्गत किन्हीं भी तीन वर्षों में कार्य करने के अनुभव और उक्त कार्य के टर्न ओवर का विवरण:-

क्र. सं.	विवरण	कार्यानुभव का वित्तीय वर्ष / टर्नओवर की धनराशि	कार्यानुभव का वित्तीय वर्ष / टर्नओवर की धनराशि	कार्यानुभव का वित्तीय वर्ष / टर्नओवर की धनराशि
1.	मतदाता फोटो पहचान पत्रों की तैयारी एवं आपूर्ति से संबंधित विगत दस वर्षों के अन्तर्गत किन्हीं भी तीन वर्षों का कार्यानुभव, और प्रत्येक वर्ष में उक्त कार्य का टर्न ओवर			

- 7- विगत तीन वर्षों में फर्म का कुल टर्नओवर

क्र. सं.	विवरण	वित्तीय वर्ष-2010-11	वित्तीय वर्ष-2011-12	वित्तीय वर्ष-2012-13
1.	फर्म का कुल टर्न ओवर			


- 8- ब्लेक लिस्टेड/फर्म के विरुद्ध कोई शासकीय कार्यवाही होने की घोषणा:-
 - 9- किसी भी शासकीय देयता की बकाया न होने तथा वर्ष-2011-12 तक जमा आयकर रिटर्न का विवरण:-
 - 10- धरोहर की जमा राशि का विवरण:-
 - 11- अन्य:-
- संलग्नकों की संख्या:-

निविदा-दाता की घोषणा

प्रमाणित किया जाता है कि, Pre-printed Non Personalized PVC Cards की आपूर्ति तथा Printing of elector details on PVC cards. फोटो स्कैन, निर्धारित साफ्टवेयर के माध्यम से डाटाबेस में फोटो Attach कर Merge आदि से संबंधित निर्वाचन विभाग द्वारा निविदा के लिए निर्धारित प्रस्तर-1 से 37 तक में उल्लिखित नियम/शर्तों को भली-भाँति से पढ़ व समझ लिया गया है और तत्पश्चात ही निविदा प्रक्रिया में प्रतिभाग किया जा रहा है। निविदा के लिए विभाग द्वारा नियत उपरोक्त नियम एवं शर्तें स्वीकार करते हुए यह भी प्रमाणित किया जाता है कि निविदा की नियम/शर्तों का किसी भी प्रकार से अनुपालन न करने या उल्लंघन करने के लिए फर्म/कम्पनी आदि उत्तरदायी होगी।

हस्ताक्षर.....
 पूरा नाम.....
 पूरा पता.....
 पैन/टैन नं0.....
 फोन/फैक्स नं0..... मोबा0नं0.....

फर्म की मुहर यहां
पर लगाई जाय।



उत्तराखण्ड सरकार
निर्वाचन विभाग

संख्या- 641 /xxv- 119

/ 2013

दिनांक: देहरादून 12 नवम्बर, 2013

निविदा सूचना

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित माप, मानक एवं गुणवत्ता के अनुरूप उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली-2008 में निहित प्राविधानों के अनुसरण में द्वि प्रस्ताव निविदा प्रणाली के आधार पर Non Personalized Pre-printed PVC Card की आपूर्ति एवं Printing of elector details on PVC Cards आदि कार्य हेतु फर्मों को सूचीबद्ध किए जाने के लिए दिनांक 03 दिसम्बर, 2013 को अपराह्न 03.30 बजे तक इच्छुक निविदा-दाताओं से मोहरबन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती है। उक्त नियत तिथि एवं समय तक निविदाएं स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक या व्यक्तिगत रूप से कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर, उत्तरी ब्लाक, कक्ष संख्या-15, 04-सुभाष रोड़ देहरादून में प्रेषित/प्रस्तुत की जा सकती हैं/ निविदा बॉक्स में डाली जा सकती है। निविदा फार्म किसी भी कार्यदिवस और कार्यालय समयान्तर्गत दिनांक 29 नवम्बर, 2013 को अपराह्न 05.00 बजे तक उल्लिखित कार्यालय से ₹ 5000.00 (रुपाँच हजार-वैट सहित) के नकद/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जो "मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड, देहरादून" के पदनाम से तैयार किया गया हो भुगतान पर, प्राप्त किया जा सकता है। निविदा के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाईट <http://ceo.uk.gov.in> से भी प्राप्त की जा सकती है। वेबसाईट से निविदा फार्म डाउनलोड करने पर ₹ 5000.00 (रुपाँच हजार) मात्र की धनराशि का बैंक ड्राफ्ट तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत किए जाने का सर्वाधिकार सुरक्षित होगा। किसी भी विवाद की स्थिति में प्रमुख सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड का निर्णय अन्तिम और सर्वमान्य होगा।

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

प्रतिलिपि:-

- 1- महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि उक्त निविदा सूचना को सर्वाधिक प्रचलन के राष्ट्रीय स्तर के दो समाचार पत्रों में दिनांक 13 नवम्बर, 2013 के प्रकाशन में, न्यूनतम धनराशि के अन्तर्गत प्रकाशित करवाने का कष्ट करें।
- 2- राष्ट्रीय सूचना विज्ञान अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC) सचिवालय परिसर देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त निविदा को तत्काल विभागीय वेबसाईट <http://ceo.uk.gov.in> में अपलोड करवाने का कष्ट करें।

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

उत्तराखण्ड सरकार

निर्वाचन विभाग

संख्या- 641/xxv- 119 12/11 / 2013

दिनांक: देहरादून 12 नवम्बर, 2013

निविदा सूचना

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित माप, मानक एवं गुणवत्ता के अनुरूप उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली-2008 में निहित प्राविधानों के अनुसरण में द्वि प्रस्ताव निविदा प्रणाली के आधार पर Non Personalized Pre-printed PVC Card की आपूर्ति एवं Printing of elector details on PVC Cards आदि कार्य हेतु फर्मों को सूचीबद्ध किए जाने के लिए दिनांक 03 दिसम्बर, 2013 को अपरान्ह 03.30 बजे तक इच्छुक निविदा-दाताओं से मोहरबन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती है। उक्त नियत तिथि एवं समय तक निविदाएं स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक या व्यक्तिगत रूप से कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर, उत्तरी ब्लाक, कक्ष संख्या-15, 04-सुभाष रोड देहरादून में प्रेषित/प्रस्तुत की जा सकती हैं/ निविदा बॉक्स में डाली जा सकती है। निविदा फार्म किसी भी कार्यदिवस और कार्यालय समयान्तर्गत दिनांक 29 नवम्बर, 2013 को अपरान्ह 05.00 बजे तक उल्लिखित कार्यालय से ₹ 5000.00 (रुपाँच हजार-वैट सहित) के नकद/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जो "मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड, देहरादून" के पदनाम से तैयार किया गया हो भुगतान पर, प्राप्त किया जा सकता है। निविदा के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाईट <http://ceo.uk.gov.in> से भी प्राप्त की जा सकती है। वेबसाईट से निविदा फार्म डाउनलोड करने पर ₹ 5000.00 (रुपाँच हजार) मात्र की धनराशि का बैंक ड्राफ्ट तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत किए जाने का सर्वाधिकार सुरक्षित होगा। किसी भी विवाद की स्थिति में प्रमुख सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड का निर्णय अन्तिम और सर्वमान्य होगा।

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

प्रतिलिपि:-

- 1- महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि उक्त निविदा सूचना को सर्वाधिक प्रचलन के राष्ट्रीय स्तर के दो समाचार पत्रों में दिनांक 13 नवम्बर, 2013 के प्रकाशन में, न्यूनतम धनराशि के अन्तर्गत प्रकाशित करवाने का कष्ट करें।
- 2- राष्ट्रीय सूचना विज्ञान अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC) सचिवालय परिसर देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त निविदा को तत्काल विभागीय वेबसाईट <http://ceo.uk.gov.in> में अपलोड करवाने का कष्ट करें।

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

निविदा फार्म संख्या.....

**Procurement of Non Personalized Pre-printed PVC Card and
Printing of elector details on PVC Cards.**

निविदा फार्म का मूल्य : ₹5000.00 (पाँच हजार मात्र)
(वैट सहित) (Non Refundable)

क- निविदा फार्म की बिक्री हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि और समय	29 नवम्बर, 2013 (शुक्रवार) अपरान्ह 05.00 बजे तक
ख- पूर्ण रूप से भरे हुए निविदा फार्म जमा करने की अन्तिम तिथि और समय	03 दिसम्बर, 2013 (मंगलवार) अपरान्ह 03.30 बजे तक
ग- निविदा समिति के द्वारा तकनीकी निविदा खोले जाने की अन्तिम तिथि और समय	03 दिसम्बर, 2013 (मंगलवार) अपरान्ह 04.30 बजे


निविदा फार्म क्रय करने एवं निविदा बॉक्स में मुहरबन्द निविदाएं जमा करने का पता:-


कार्यालय:- मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, उत्तरी ब्लाक, कक्ष संख्या-15

04- सुभाष रोड़, देहरादून, उत्तराखण्ड।

टेलीफैक्स:- 0135-2713551 / 2713552

Email: ceo_uttaranchal@eci.gov.in




(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

SECTION-A

कार्य क्षेत्र में समाहित कार्य का विवरण

(Scope of Work)

1. उत्तराखण्ड राज्य की समस्त 70 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लगभग 1400 अवशेष मतदाताओं तथा सभी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के अन्तर्गत सम्भावित लगभग 2.5 लाख (दो लाख पच्चास हजार) नये निर्वाचकों (सम्भावित नये निर्वाचकों की संख्या घट अथवा बढ़ सकती है)के PVC Cards में मतदाता फोटो पहचान पत्र तैयार करने हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित माप, मानक और गुणवत्ता के अनुरूप Pre-printed Non Personalized PVC Cards की आपूर्ति और Printing of elector details on PVC cards का कार्य।

2. उपरोक्त के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार कतिपय निर्वाचकों के अनुरोध पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुशरण में नियमानुसार Duplicate EPIC भी तैयार कर निर्गत किये जायेंगे, जिनके लिए तदनुसार Pre-printed Non Personalized PVC Cards की आपूर्ति और Printing of elector details on PVC cards का कार्य भी किया जाना होगा।

3- Specifications of PVC Card:- The PVC Card should have the following dimension and security printing (as per Sample provide by ECI) :-

(a) Specifications of Pre-printed Non Personalized PVC Cards:

- (i) Size: 8.6cm vertical and 5.4cm horizontal
- (ii) Thickness: 0.7 mm
- (iii) Photo box size: 32 mm vertical and 24 mm Horizontal

(b) Specifications for Security printing

Front:-

- (i) Spiral micro letters line (EPIC) in art screen
- (ii) Three colour guilloche design
- (iii) The National Emblem with guilloche design for invisible printing which can be seen by ultra violet light.
- (iv) The National Emblem printed on the upper left hand corner and Election Commission of India logo printed on the upper right hand corner in colour.

Back:-

- (i) Relief tint of "Election Commission of India" in bilingual i.e. English and Hindi.

Personalization:-

Front:-

- (i) Election Commission of India in English and Hindi on the top.
- (ii) Elector Photo Identity Card in English and Hindi of the below Election Commission of India.

(राधा रतूडी)

प्रमुख सचिव एवं

संस्था निर्वाचन अधिकारी

- (iii) Colour photo of the elector. (the size of photograph of will be 3.2cm vertical x 2.4 cm horizontal) and of resolution 320x240 pixel.
- (iv) EPIC number of the elector printed in alphabets and numbers and also as a bar code.
- (v) Name of the elector, in English and Hindi.
- (vi) Relation name printed in English and Hindi.

Back:-

- (i) Sex printed in English and Hindi.
- (ii) Date of birth/age printed in English.
- (iii) Address printed in English and Hindi.
- (iv) Number and Name of assembly constituency printed in English and Hindi.
- (v) Part no and name in English and Hindi.
- (vi) Scanned signature of Electoral Registration Officer.
- (vii) Note:-

The following notes printed in English and Hindi:-

- (a) Mere possession of Elector Photo Identity Card is no guarantee of name being present in electoral rolls. Please check your name in the current electoral rolls before every election.
- (b) Date of birth mentioned in this Card shall not be treated as proof of age or date of birth for any purpose other than registration in electoral rolls.

Technology to be used:-


Dye Sublimation card printing


Equipment to be used :-

Double sided Dye Sublimation PVC card Printer with minimum Speed of 125 cards per hour for double side printing in front side Color & back side black in one single pass.

Ribbon to be used:-

YMCKOKO ribbon




(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

SECTION-B

Non Personalized Pre-printed PVC Card की आपूर्ति एवं Printing of elector details on PVC Cards, निविदा-दाताओं के लिए विशेष निर्देश एवं आवश्यक शर्तें:-


1- उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली-2008 में निहित प्राविधानों के अनुसरण में दो प्रस्ताव निविदा प्रणाली के आधार पर **Non Personalized Pre-printed PVC Card** की आपूर्ति एवं **Printing of elector details on PVC Cards**. के कार्य हेतु फर्मों को सूचीबद्ध किए जाने के लिए दिनांक 03 दिसम्बर, 2013 को अपराह्न 03.30 बजे तक मोहरबन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। उक्त नियत तिथि एवं समय तक निविदाएं स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक या व्यक्तिगत रूप से कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर, उत्तरी ब्लाक, कक्ष संख्या-15, 04-सुभाष रोड़ देहरादून में प्रेषित/प्रस्तुत की जा सकती हैं /निविदा बॉक्स में डाली जा सकती है। उल्लिखित अन्तिम तिथि व समय तक प्राप्त निविदाओं की तकनीकी निविदाओं को, उसी दिन अपराह्न 04.30 बजे निविदा समिति द्वारा, उपस्थित निविदा-दाताओं के सम्मुख खोला जायेगा। उक्त तिथि को अवकाश की दशा में अगले कार्यदिवस को नियत समय पर तकनीकी निविदा खोलने की कार्यवाही की जायेगी। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त किसी भी निविदा/निविदाओं को निविदा के रूप में प्राप्त/स्वीकार नहीं किया जायेगा। निविदा फार्म दिनांक 29 नवम्बर, 2013 को अपराह्न 05.00 बजे तक किसी भी कार्यदिवस और कार्यालय समय पर निर्धारित नकद मूल्य देकर प्राप्त किया जा सकता है।


2- निविदा-दाता फर्म आदि का व्यापार कर/ आयकर एवं सेवाकर विभाग में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। व्यापार कर/आयकर /सेवाकर विभाग में रजिस्ट्रेशन सम्बन्धी अभिलेखों की सत्यापित छाया प्रति, जिसमें पैन कार्ड की सत्यापित छाया प्रति भी हो, उपलब्ध करानी अनिवार्य होगी।

3- निविदा-दाता फर्म आदि का मतदाता फोटो पहचान पत्रों की तैयारी, सन्तोषजनक ढंग से गुणवत्तायुक्त आपूर्ति करने का अनुभव होना अनिवार्य है। अनुभव प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति तकनीकी निविदा के साथ प्रस्तुत करनी होगी।

4- मतदाता फोटो पहचान पत्रों की तैयारी एवं आपूर्ति सम्बन्धी विगत तीन वर्षों में (वित्तीय वर्ष-2010-11, 2011-12 एवं 2012-13) प्रत्येक वर्ष में कम से कम 5.00 लाख (पाँच लाख) का टर्न ओवर होना चाहिए। इसी प्रकार फर्म का उल्लिखित वित्तीय वर्षों में प्रत्येक वर्ष में कम से कम कुल ₹50.00 लाख (पच्चास लाख) का टर्न ओवर होना चाहिए। टर्नओवर से संबंधित सी0ए0 के द्वारा समीक्षित बैलेंस शीट की प्रमाणित छाया प्रति भी उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

5- उक्त तीनों वित्तीय वर्ष में से किसी भी एक वित्तीय वर्ष में उल्लिखित कार्य से संबंधित एक समय में कम से कम रुपये 5.00 लाख तक के एकमुश्त कार्यादेश की प्रमाणित छाया प्रति एवं गुणवत्तायुक्त सन्तोषजनक ढंग से कार्य करने के पश्चात भुगतान से संबंधित अभिलेख/अभिलेखों की प्रमाणित छाया प्रति प्रस्तुत करनी होगी।




(सधा एतुडी)
प्रमुख सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

6- निविदा प्रस्तुतकर्ता फर्म आदि को भारत सरकार/राज्य सरकार से ब्लेक लिस्टेड नहीं होना चाहिए। फर्म आदि को 10.00 रुपये के नॉन जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि फर्म आदि ब्लेक लिस्टेड नहीं है। शपथ-पत्र नोटरी के समक्ष अभिप्रमाणित/सत्यापित होना चाहिए।

7- निविदा-दाता फर्म आदि को आयकर एवं अन्य किसी भी कर जो भी देय हों, का बकायादार/देनदार नहीं होना चाहिए। वित्तीय वर्ष-2011-12 तक के जमा आयकर रिटर्न से संबंधित रसीद/अभिलेखों की प्रमाणित छाया प्रति प्रस्तुत करनी अनिवार्य होगी।

8- निविदा के साथ धरोहर के रूप में ₹15,000.00 (रुपन्द्रह हजार) मात्र की धनराशि प्रति जनपद की दर से बैंक ड्राफ्ट, बैंकर्स चेक, बैंक गारण्टी या सावधि जमा रसीद जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत हो, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड, देहरादून (Chief Electoral Officer Uttarakhand Dehradun) के पक्ष में तैयार किया गया हो, प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। राज्य के सभी 13 जनपदों के लिए निविदा प्रस्तुत करने पर धरोहर के रूप में कुल ₹1.90 लाख (₹ एक लाख नब्बे हजार) मात्र की धनराशि उल्लिखित रीति से जमा कर प्रस्तुत करनी होगी।


9- निर्वाचन कार्यों की तात्कालिकता, महत्ता और समयबद्धता को ध्यान में रखते हुए निविदा-दाता फर्म आदि का विगत कम से कम तीन वर्षों से उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत पूर्ण रूप से स्थापित कार्यालय एवं कार्यशाला का होना नितान्त आवश्यक होगा। इसी कार्यालय एवं कार्यशाला से फर्म के द्वारा विगत तीन वर्षों तक फोटो पहचान पत्रों/निर्वाचन विभाग अथवा अन्य विभाग/कार्यालयों का समान प्रकृति का कार्य सम्पादित किया गया हो।


10- निविदा प्रस्तुतकर्ता फर्म आदि के पास प्रत्येक दिन कम से कम पाँच हजार PVC Card रंगीन प्रिन्टिंग की क्षमता रखने वाले उच्च गुणवत्ता के तकनीकी प्रिन्टर होने चाहिए।

11- सफल निविदा-दाता को प्रथम चरण में उत्तराखण्ड राज्य के प्रत्येक जिला निर्वाचन कार्यालय में आवश्यक संख्या में उच्च गुणवत्ता के इण्टरनेट कनेक्शनयुक्त कम्प्यूटर स्थापित करने के साथ-साथ PVC Card प्रिन्टर स्थापित करना होगा। इस प्रकार जनपद मुख्यालय में ही भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित साफ्टवेयर के माध्यम से EPIC Generate कर निर्देशानुसार PVC Card प्रिन्टर से प्रिन्ट कर उपलब्ध कराने अनिवार्य होंगे।

12- सफल निविदा-दाता को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित माप, गुणवत्ता के अनुरूप ही आवश्यकतानुसार Non Personalized Pre-printed PVC Card की व्यवस्था भी स्वयं करनी होगी। गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की कोई कमी या न्यूनता को अत्यन्त गम्भीरता से लिया जायेगा।

13- भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार वर्तमान में 01 जनवरी, 2014 की अर्हता तिथि के आधार पर फोटोयुक्त विधान सभा निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य गतिमान है और दिनांक 18 नवम्बर, 2013 तक प्राप्त दावे आपत्तियों का संबंधित ERO के द्वारा दिनांक 30 नवम्बर, 2013 तक निस्तारण के पश्चात दिनांक 01 दिसम्बर, 2013 से डाटा




(राधा स्तूडी)
प्रमुख सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

इण्ट्री का कार्य प्रारम्भ होगा। डाटा इण्ट्री का कार्य जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा किया जायेगा किन्तु फोटो स्कैन और तदनुसार निर्धारित साफ्टवेयर में फोटो Attach और Merge का कार्य सफल निविदा-दाता के द्वारा ही सम्पन्न किया जायेगा।

14.1- उपरोक्त प्रस्तर-13 के अनुसार जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा डाटा इण्ट्री के फलस्वरूप सफल निविदा-दाता द्वारा फोटो स्कैन और तदनुसार निर्धारित साफ्टवेयर में फोटो Attach और Merge का कार्य करने के पश्चात ही निर्धारित साफ्टवेयर के माध्यम से PVC Card प्रिन्टर से Personalized PVC EPIC प्रिन्ट करने होंगे। अर्थात् डाटा इण्ट्री का कार्य एवं फोटो स्कैन, फोटो Attach और Merge तथा Personalized PVC EPIC प्रिन्ट का कार्य निरन्तर साथ-साथ (Simultaneously) चलेगा। उपरोक्त कार्य के समय पर सफल सम्पादन के लिए प्रत्येक जनपद में कम्प्यूटर, PVC Card प्रिन्टर के साथ-साथ आवश्यक संख्या में कम्प्यूटर दक्ष एवं सॉफ्टवेयर की जानकारी रखने वाले कार्मिक भी रखने होंगे।

14.2- कार्यपूर्ति आदेश के उपरान्त अधिकतम 05 दिन के अन्दर कार्य प्रारम्भ न करने और अपेक्षानुसार Personalized PVC EPIC उपलब्ध न कराने पर पाँच हजार प्रति दिन की दर से Penalty लागू होगी। पाँच दिन से अधिक किन्तु 9 दिन तक के व्यवधान पर Penalty की धनराशि दस हजार प्रतिदिन होगी। कार्य में असमर्थ पाये जाने पर संबंधित सफल निविदा-दाता की जमानत की धनराशि जब्त कर ली जायेगी जो Penalty की धनराशि के अतिरिक्त होगी।

15- इस प्रकार सफल निविदा-दाता द्वारा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित माप, मानक एवं गुणवत्ता के अनुरूप Non Personalized Pre-printed PVC Card की आपूर्ति करने के साथ-साथ, फोटो स्कैन, निर्धारित साफ्टवेयर से डाटाबेस में फोटो Attach और Merge का कार्य करने के पश्चात ही PVC Card प्रिन्टर से Personalized PVC EPIC प्रिन्ट करने का सम्पूर्ण कार्य करना होगा। पुनः स्पष्ट कर दें कि उक्त सम्पूर्ण कार्य प्रथम चरण में प्रत्येक जिला निर्वाचन कार्यालय में ही सम्पन्न किया जायेगा। लोक सभा के आगामी सामान्य निर्वाचन के पश्चात द्वितीय चरण में उक्त कार्य प्रत्येक ERO Office / तहसील मुख्यालय में सम्पादित किए जाने की कार्ययोजना है।


16- निर्धारित मानक, माप, मात्रा और गुणवत्ता के साथ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रवार/मतदेय स्थलवार प्रिन्ट किए गए समस्त PVC EPIC को अच्छी तरह से मतदेय स्थलवार रबरबैण्ड करते हुए वितरण हेतु जिला निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व संबंधित वेण्डर का होगा। यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि दिनांक 06 जनवरी, 2014 को निर्वाचक नामावलियों के अन्तिम प्रकाशन के समय ही सभी संबंधित मतदाताओं को उनके मतदाता फोटो पहचान पत्र भी वितरित किये जायेंगे।


17- जिला निर्वाचन कार्यालय भण्डार तक Non Personalized Pre-printed PVC Card की आपूर्ति, फोटो स्कैन और तदनुसार निर्धारित साफ्टवेयर में फोटो Attach और Merge का कार्य करने PVC Card प्रिन्टर से Personalized PVC EPIC प्रिन्ट करने हेतु अलग से कोई किराया-भाड़ा, लोडिंग/अनलोडिंग हेतु मजदूरी या अन्य कोई भी पारिश्रमिक देय नहीं होगा वित्तीय निविदा में उक्त सम्पूर्ण कार्य के लिए सभी करों सहित दर प्रस्तुत करनी होगी।

(M/AS)

(राधा सुब्बा)
प्रमुख अधिकारी एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

- 18- निविदा के साथ अपेक्षित धरोहर की धनराशि अपेक्षानुरूप प्रस्तुत न करने पर निविदा मान्य नहीं होगी। तकनीकी निविदा Annexure-1 के साथ सभी अपेक्षित प्रमाण पत्र रखे जायेंगे। वित्तीय निविदा पृथक लिफाफे पर होंगी तदनन्तर इन्हें एक लिफाफे में रखा जायेगा।
- 19- निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर उपस्थित निविदा-दाताओं अथवा उनके प्रतिनिधियों के सम्मुख तकनीकी निविदाएं खोली जायेगी। तकनीकी निविदा के मूल्यांकन एवं वर्गीकरण के उपरान्त अर्ह निविदा-दाताओं की सूची तैयार की जायेगी। तकनीकी निविदा में अर्ह पाये गये निविदा-दाताओं की ही यथा समय वित्तीय निविदाएं खोली जायेगी। अन्य अनर्ह पाए गए निविदा-दाताओं की वित्तीय निविदायें नहीं खोली जायेंगी।
- 20- नियमानुसार तकनीकी निविदा में अर्ह पाई गई फर्म आदि की वित्तीय निविदा को ही खोला जायेगा। वित्तीय निविदा खोले जाने के पश्चात जिस फर्म आदि को न्यूनतम निविदा के आधार पर संबंधित जनपद/जनपदों के लिए एल0-1 की श्रेणी में वर्गीकृत किया जायेगा ऐसी किसी भी फर्म आदि को उनके द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम दर के आधार पर आगणित धनराशि के 10 प्रतिशत की धनराशि एकाउण्ट पेई डिमाण्ड ड्राफ्ट, कमर्शियल बैंक की फिक्स डिपोजिट, सावधि जमा रसीद या बैंक गारण्टी के द्वारा कार्यपूर्ति जमानत के रूप में प्रस्तुत करनी होगी। फर्म आदि के लिखित अनुरोध पर उसकी निविदा धरोहर की धनराशि को जमानत की धनराशि में समाहित/प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। कदाचित जमानत की धनराशि, धरोहर की धनराशि से कम होने पर धरोहर की पूर्ण धनराशि को ही जमानत के रूप में समाहित/प्रत्यावर्तित किया जायेगा इसके किसी भाग को वापस नहीं लौटाया जायेगा।
- 21- वित्तीय निविदा खोले जाने के पश्चात निविदा समिति के द्वारा एल0-01 में वर्गीकृत फर्म आदि के द्वारा, कदाचित यदि उन्हें निविदा प्रक्रिया से बाहर करने का लिखित अनुरोध किया जाता है, या निर्धारित तिथि, समय तक अपेक्षित जमानत की धनराशि जमा नहीं की जाती है, या किसी भी प्रकार से निविदा प्रक्रिया से विमुख होने/सम्मिलित होने पर असमर्थता व्यक्त की जाती है तो ऐसी दशा में उसकी धरोहर की धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
- 22- निविदा समिति की संस्तुति के आधार पर, एल0-01 में वर्गीकृत फर्म आदि द्वारा कार्यादेश निर्गत होने पर नियत तिथि तक अपेक्षित कार्य/आपूर्ति न करने पर संबंधित फर्म की जमानत की धनराशि जब्त कर ली जायेगी और फर्म को नियमानुसार ब्लेक लिस्टेड करते हुए Liquidated Damage के रूप में उपरोक्त प्रस्तर-14.2 के अनुसार विभाग द्वारा दावा किया जा सकेगा। ऐसी स्थिति में विभाग फर्म आदि के विरुद्ध न्यायिक/दण्डात्मक कार्यवाही के लिए भी स्वतंत्र होगा।
- 23- Non Personalized Pre-printed PVC Card के ट्रॉसपोर्टेशन, लोडिंग-अनलोडिंग या अन्य किसी भी आकस्मिक दुर्घटना के लिए विभाग उत्तरदायी नहीं होगा और इस हेतु किसी भी प्रकार का कोई दावा या क्षतिपूर्ति स्वीकार नहीं किया जायेगा। फर्म/कम्पनी/साझेदार अथवा व्यक्तिगत आदि उक्त के लिए स्वयं उत्तरदायी होगा।




(सात रतूड़ी)
प्रमुख सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

24- नियमानुसार किसी भी फर्म/कम्पनी आदि की निविदा स्वीकृत होने के पश्चात फर्म/कम्पनी आदि को ₹100.00 के नॉन जूडिशियल स्टॉम्प पर तत्काल अनुबन्ध करना होगा जिसकी विषय वस्तु से यथा समय अवगत करा दिया जायेगा।

25- मोहरबन्द निविदाएं ए4 साईज के एक लिफाफे में प्रस्तुत की जायेंगी, जिसके मुख्य आवरण के शीर्ष पर "Non Personalized Pre-printed PVC Card की आपूर्ति Personalized PVC EPIC प्रिन्ट करने हेतु निविदा" स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। इस मुख्य लिफाफे के अन्दर दो अलग-अलग मोहरबन्द लिफाफे होंगे जिनमें से एक लिफाफे पर "Non Personalized Pre-printed PVC Card की आपूर्ति Personalized PVC EPIC प्रिन्ट करने हेतु तकनीकी निविदा" एवं दूसरे लिफाफे पर पर "Non Personalized Pre-printed PVC Card की आपूर्ति Personalized PVC EPIC प्रिन्ट करने हेतु वित्तीय निविदा" स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए।

26- तकनीकी निविदा सम्बन्धी लिफाफे के अन्दर निम्नलिखित अभिलेखों आदि की प्रमाणित छाया प्रति जिनके प्रत्येक पृष्ठ पर फर्म/कम्पनी की मुहर भी लगी हो तथा अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर किए गए हों Annexure-1 पर सांराश सहित रखी होनी चाहिए:-

1-व्यापार कर/आयकर/सेवाकर विभाग में रजिस्ट्रेशन सम्बन्धी अभिलेख

2-पैन कार्ड

3-मतदाता फोटो पहचान पत्रों की तैयारी एवं आपूर्ति से संबंधित कार्य के अनुभव प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति।

4-अपेक्षित वित्तीय वर्षों की टर्नओवर से संबंधित सी0ए0द्वारा सम्प्रीक्षित बैलेंसशीट की प्रमाणित छाया प्रति।

5-ब्लेक लिस्टेड न होने का नोटरी के समक्ष तैयार शपथ-पत्र मूल में

6-विगत तीन वर्षों में से किसी भी एक वर्ष में ₹ 5.00 लाख तक के एकमुश्त कार्यादेश की प्रति/सन्तोषजनक कार्य करने के पश्चात भुगतान सम्बन्धी वांछित अभिलेख।


7-किसी भी प्रकार के कर जो भी देय हों, का बकायादार/देनदार नहीं होने, वित्तीय वर्ष-2011-12 तक जमा आयकर रिटर्न से संबंधित रसीद/अभिलेख।


8-धरोहर की धनराशि का बैंक ड्राफ्ट आदि मूल रूप में।

9-निविदा हेतु निर्धारित नियम/शर्तों के इस अभिलेख की प्रमाणित छाया प्रति जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर फर्म/कम्पनी आदि की मुहर सहित अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर किए गए हों।

10-अन्य अभिलेख यदि कोई हों, फर्म/कम्पनी की मुहर अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर सहित।

11- उत्तराखण्ड राज्य में कार्यालय/कार्यशाला का विवरण एवं पूरा पता।




(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

- 27- वित्तीय निविदा सम्बन्धी लिफाफे के अन्दर केवल Annexure-2 जिस पर "Non Personalized Pre-printed PVC Card की आपूर्ति Personalized PVC EPIC प्रिन्ट करने हेतु फोटो स्कैन कर निर्धारित साफ्टवेयर से डाटाबेस में Attach और Merge करने हेतु दरें अंको एवं शब्दों में स्पष्ट रूप से लिखी गई हो रखी होनी चाहिए। इसी प्रकार जनपद/जनपदों का नाम भी वित्तीय निविदा में स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए, जिसके/जिनके लिए निविदा प्रस्तुत की जा रही है। अन्य कोई भी सामग्री/अभिलेख वित्तीय निविदा सम्बन्धी लिफाफे के अन्दर न रखी जाय। वित्तीय निविदा में प्रस्तुत दर में भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सभी प्रकार के टैक्स (Price including all taxes /गन्तव्य तक परिवहन, लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित) सम्मिलित होंगे।
- 28- कार्यापूर्ति आदेश के पश्चात फर्म/कम्पनी के द्वारा आपूर्ति किए गए Non Personalized Pre-printed PVC Card एवं Personalized PVC EPIC प्रिन्टिंग की सक्षम तकनीकी विभाग/ कार्यालय/प्रयोगशाला से जाँच करवाई जा सकती है तथा जाँचोपरान्त गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की कमी पाए जाने पर संबंधित देयकों का न तो भुगतान किया जायेगा और न ही कोई दावा स्वीकार किया जायेगा साथ ही जमानत की धनराशि भी जब्त कर ली जायेगी जिसके लिए संबंधित फर्म आदि स्वयं उत्तरदायी होगी। ऐसी स्थिति में विभाग द्वारा संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार दण्डनीय कार्यवाही करते हुए प्रस्तर-14.2 एवं प्रस्तर-22 के अनुसार क्षतिपूर्ति का दावा भी किया जा सकेगा।
- 29- निविदा शर्तों के अधीन सन्तोषजनक ढंग से आपूर्ति किए जाने के फलस्वरूप विभाग का समाधान हो जाने के पश्चात ही आपूर्तिकर्ता फर्म/कम्पनी आदि को एक माह पश्चात अथवा निविदा की वैधता समाप्ति के पश्चात प्रमुख सचिव एवं मु0नि0अ0 अधिकारी के निर्देशानुसार ही उनकी जमानत की धनराशि लौटाए जाने पर विचार किया जायेगा।
- 30- देयक की कुल धनराशि के सापेक्ष विभाग द्वारा नियमानुसार आयकर/टी0डी0एस0 आदि की कटौती की जायेगी। भुगतान की सम्पूर्ण कार्यवाही जिला निर्वाचन कार्यालयों द्वारा ही की जायेगी।
- 31- सामान्यतः धरोहर धनराशि की वैधता निविदा की अन्तिम वैध अवधि के पश्चात 45 दिन होगी परन्तु इस अवधि को आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकता है।
- 32- कोई भी निविदा-दाता किसी भी एक जनपद के लिए, एक से अधिक जनपद के लिए अथवा राज्य के सभी 13 जनपदों के लिए निविदा प्रस्तुत कर सकता है। अन्तिम रूप से तकनीकी अर्हता प्राप्त जिस फर्म की दरें जिस जनपद/जनपदों के लिए निविदा समिति के द्वारा एल-01 में वर्गीकृत की जाती है, संबंधित जनपद/जनपदों का कार्य उसी फर्म को आवंटित किया जायेगा।
- 33- तकनीकी निविदा के साथ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित माप, मानक एवं गुणवत्ता के साथ कम से कम 05 (पाँच) Non Personalized Pre-printed PVC Card के नमूने प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे। भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त Non Personalized Pre-printed

(M/S)

(सहा सूची)
प्रमुख सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

PVC Card का नमूना निविदा प्रकाशन की तिथि से 29 नवम्बर, 2013 तक किसी भी कार्यदिवस व कार्यालय समय पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, उत्तराखण्ड देहरादून में देखा जा सकता है। कार्यादेश निर्गत होने से पूर्व सफल निविदा-दाता को निविदा समिति द्वारा चयनित नमूने के अनुरूप PVC Card के 5-5 नमूने प्रति जनपद के हिसाब से मुख्यालय को उपलब्ध कराने होंगे।

34- निविदा-दाता फर्म आदि के द्वारा जिस फर्म के नाम पर निविदा फार्म क्रय किया गया है, उसी फर्म आदि के नाम से सभी तकनीकी अभिलेख (तकनीकी निविदा में जो भी अपेक्षित हैं) प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे। इण्टरनेट से डाउनलोड करने पर भी उपरोक्त स्थिति लागू होगी। अर्थात् फर्म द्वारा निविदा के साथ प्रस्तुत सभी अभिलेख एक ही फर्म के नाम से होने अनिवार्य हैं।

35- निविदा के संबंध में किसी भी प्रकार की विस्तृत जानकारी के लिए निविदा प्रकाशन की तिथि से दिनांक 29 नवम्बर, 2013 तक किसी भी कार्यदिवस और कार्यालय समयान्तर्गत मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय उत्तराखण्ड, देहरादून में व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष संख्या 0135-2713551 पर सम्पर्क किया जा सकता है।



36- निविदा समिति की संस्तुति के आधार पर नियमानुसार एल-01 में वर्गीकृत सफल निविदा-दाता को कार्यादेश निर्गत करने की तिथि से निविदा की वैधता एक वर्ष की होगी किन्तु आवश्यकता पड़ने पर निविदा की वैधता तीन वर्ष के लिए विस्तारित कि जा सकती है।

37- किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का प्रमुख सचिव एवं मु0नि0अ0 के पास सर्वाधिकार सुरक्षित होगा। उक्त के संदर्भ में सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी का निर्णय अन्तिम और सर्वमान्य होगा। सशर्त कोई भी निविदा मान्य नहीं होगी। निविदा के सम्बन्ध में न्यायाधिकार क्षेत्र देहरादून मुख्यालय होगा। आवश्यकता पड़ने पर निविदा की नियम/शर्तों में संशोधन/परिवर्तन करने का सर्वाधिकार सुरक्षित होगा।


दिनांक: 12 नवम्बर, 2013

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

**भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त Non Personalized Pre-printed PVC Card
का नमूना।**

<p align="center">  भारत निर्वाचन आयोग ELECTION COMMISSION OF INDIA मतदाता फोटो पहचान पत्र - ELECTOR PHOTO-IDENTITY CARD </p> <p align="center">  GDNQD00000 </p> <p align="center">  </p> <p> नाम : _____ पिता का नाम : _____ FATHER'S NAME : _____ </p>	<p> लिंग / Sex : _____ जन्म की तारीख / आयु : _____ Date of Birth / Age : _____ पता : _____ Address : _____ </p> <p align="right"> निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी के स्कैन हस्ताक्षर Scanned Signature of Electoral Registration Officer </p> <p> तारीख : _____ Date : _____ </p> <p> विधान सभा क्षेत्र संख्या और नाम : _____ Assembly Constituency No. & Name : _____ </p> <p> नोट / Note : 1. इस कार्ड को धारण करने मात्र से यह कोई गारंटी नहीं है कि आप वर्तमान निर्वाचक नामावली में निर्वाचक हैं। कृपया अपने नाम प्रत्येक चुनाव से पहले वर्तमान नामावली में जांचें। Mere possession of this card is no guarantee that you are elector in the current electoral roll. Please check your name in the current electoral roll before every election. 2. इस कार्ड में उल्लिखित जन्मतिथि को निर्वाचक नामावली में पंजीकरण के अलावा अन्य किसी भी स्थिति में आयु के प्रमाण के रूप में नहीं माना जाएगा। Date of Birth mentioned in this card shall not be treated as a proof of age / D.O.B. for any purpose other than registration in electoral roll. </p>
--	--

mas


 (राधा रतूड़ी)
 प्रमुख सचिव एवं
 मुख्य निर्वाचन अधिकारी

गलत - प्रेम
23/2/17

B. S. SANDHU

RTI Activist

Address: H.No. 6, Gulmohar Complex, Dhakoli,
Zirakpur-140603, Distt. S.A.S. Nagar, Punjab, India
Contact Nos. : +91 9915254046, 9915272211
eMail : bsingh.rti@gmail.com

" To Serve The Nation "

Ref.No. RTI/103/ELEC/UTTRANCHAL/2017/125/003

Dated: 20.02.2017

To
The State Public Information Officer
O/o Chief Electoral Officer, Uttaranchal,
Secretariat Complex,
2, Subhash Road,
Dehradun - 248001

Application under to Right to Information Act 2005

Subject: Application for furnishing the information in written in the shape of photo copy of documents duly attested under the Right to Information Act, 2005.

Respected Sir/Madam,

The present RTI application is being moved by B.S. SANDHU, RTI Activist, law abiding, citizen of India. The applicant seeks the following point-wise information with certified copies of the each page of every documents under RTI Act, 2005.

1. Certified copy of each and every Work Order, Agreement made by Chief Electoral Officer with Agency for Personalization of PVC EPIC preparation and any extension in work order from year 2013 to till date be supplied.
2. Certified copy of each and every Document related to Guidelines/ Instructions/ Notifications issued by Election Commission of India regarding the PVC EPICs Personalization, specifically the details comprising information EPIC Card printing, Emblem printing, Quality, printing/personalization like Dye Sublimation, printers recommendations , Ribbons to used YMCKOKO as mentioned in your Tender of year 2013 to till date , be supplied.

श्री संभवल
कानून एवम्
उपलक्ष्य कक्षा


20/2/2017

B.S.

P10 2-3-17

B. S. SANDHU

RTI Activist

Address: H.No. 6, Gulmohar Complex, Dhakoli,
Zirakpur-140603, Distt. S.A.S. Nagar, Punjab, India
Contact Nos. : +91 9915254046, 9915272211
eMail : bsingh.rti@gmail.com

" To Serve The Nation "

3. Certified copy of each and every Bill/Invoice raised for payment claim to CEO, Uttaranchal, by the successful vendor for EPIC PVC printing from year 2013 to till date be supplied.
4. Certified copy of each and every sanction released by CEO, Uttaranchal to the successful vendor for EPIC PVC printing from year 2013 to till date be supplied.
5. Certified copy of each and every file noting where the Higher Authorities sanctioned the condition that the Bidder must be having office in Uttaranchal from Last three years at the time of bidding the tender in your tender of Year 2013 for personalization of PVC EPICs in the state of Uttaranchal, be supplied.
6. Certified copy of each and every file noting where the Higher Authorities sanctioned the condition that the "Bidder must be having office in Uttaranchal from Last three years at the time of bidding the tender " in your tender of Year 2013 for personalization of PVC EPICs in the state of Uttaranchal, which debarred the competitive firm from out of state, breach of ARTICLE 14 of Indian constitutions by debarring the firm of India other than the state of Uttaranchal, be supplied.

This application is being moved under the right to Information Act, and the necessary fees of Rs.10/- has been deposited by way of Indian Postal Order no. 36F 219128 dated: 20-02-2017 with your office through Regd./Speed Post.

The under signed shall deposit the additional documents charges if any, after receiving the detail of document pertaining to each point.


(B. S. SANDHU)
RTI Activist